न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
दिनांक 19.08.2025
प्रकरण संख्या :– 4/2025 ई.रे.

1– बालू पिता लछमन गुर्जर नि. सांगरिया तहसील बडीसादडी – प्रार्थी

बनाम

1– श्रीलाल पिता कना गुर्जर नि. सांगरिया तहसील बडीसादडी
2– कंवरलाल पिता कना गुर्जर नि. सांगरिया तहसील बडीसादडी
3– उदीबाई पत्नी कना गुर्जर नि. सांगरिया तहसील बडीसादडी
4– तहसीलदार एवं उपपंजीयक बडीसादडी
–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री दिनेश कुमार वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री भवानीसिंह देवड़ा वकील विपक्षी संख्या 1 से 3

–:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. मौजा सांगरिया की खाता संख्या 192 की आराजी नं. 1302, 276, 289, 290, 291, 292, 353, 356, 406, 409, 512, 518, 519, 571, 572, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 780/1959, 784, 785, 786, 787, 788, 789 कुल किता 28 रकबा 9.7200 हैक्ट. स्थित है।
2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते की होकर दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहीत है तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक–पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का जन्म से विधिवत रूप से हक हिस्सा निहीत है।
3. उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर विधिवत रूप से बटवाड़ा नहीं किया गया है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है तथा रकबे की कमी बैशी को लेकर आये दिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच लड़ाई–झगड़ा होता रहता है जिस कारण वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच हक हिस्से अनुसार विधिवत रूप से बटवाडा किया जाकर प्रार्थी के नाम पृथक से दर्ज रिकॉर्ड फरमाया जाना आवश्यक हैं
4. अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 द्वारा प्रार्थी के हक–हिस्से की वादग्रस्त आराजीयात नं. 1302 जो गांव के स्टमा होकर बेशकिमती है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 द्वारा जबरन कब्जा कर सम्पूर्ण आराजी नं. 1302 पर पक्का निर्माण करवाया जा रहा है तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी नं. 1302 से महरूम करने की नियत [illegible] लडाई झगड़ा करने पर आमदा होते है जिस कारण अप्रार्थी नं. 1 से लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी नं. 1302 पर कब्जा [illegible] कर न करावे तथा वादग्रस्त आराजी नं. 1302 के राजस्व रिकोर्ड व मोके की यथा स्थिति बनाये रखे। [illegible]

वकील विपक्षीगण ने अपने जवाब में काउन्टर प्रार्थना [illegible] पेश किया तथा निम्न बिन्दु [illegible] किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात ग्राम सांगरिया में स्थित होना स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 1302 रकबा 0.2200 हैक्ट. को छोड़कर दूसरी सम्पूर्ण आराजीयात में प्रार्थी व अप्रार्थीगण क्रमांक 1 से 3 एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है तथा आराजी नम्बर 1302 को छोडकर सभी आराजीयात का बटवाड़ा कराने में अप्रार्थीगण क्रमांक 1 से 3 को कोई आपत्ति नहीं है।
3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 जिस तरीके से दर्ज की गई है वो गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से कभी कोई विवाद नहीं किया है।
4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1302 रकबा 0.2200 हैक्ट. में अप्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा है तथा प्रार्थी बालु को कोई हक हिस्सा नहीं होकर बालु के पिता ने उक्त आराजी के अपने 1/6 हिस्से को नानुराम पिता शंकर सुथार निवासी सांगरिया को काफी वर्षो पूर्व हस्तान्तरित कर दी और मौके पर नानूराम का ही कब्जा चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थी जबरन अप्रार्थीगण क्रमांक 1 लगायत 3 को नाजायज परेशान कर अप्रार्थीगण क्रमांक 1 लगायत 3 के प्रत्येक का 1/18 हिस्से में जबरन दखलदांजी कर कब्जा करने पर उतारू है जबकि प्रार्थी को मौके पर इस आराजी पर कोई कब्जा नहीं हैं। तथा अप्रार्थीगण उक्त खसरे नम्बर 1302 के सम्पूर्ण रकबे पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही कर रहे है बल्कि अपने हक हिस्से की आराजी का ही उपयोग उपभोग करे रहे है।

वकील विपक्षी ने अपने काउन्टर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि खाता संख्या 192 नया की आराजी खसरा संख्या 1302 रकबा 0.2200 हैक्ट. लगान 0.66 रूपया ग्राम सांगरिया में स्थित है। इस आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा होकर मौके पर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर राजस्व रिकॉर्ड मे इसी अनुसार दर्ज है। तथा अन्य खातेदारान के भी इस आराजी मे हिस्से निहित है। इस आराजी के प्रार्थी बालु के 1/6 हक हिस्से को उसके पिता लछमन द्वारा नानुराम पिता शंकर सुथार निवासी सांगरिया को वर्षो पूर्व हस्तांतरीत कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया तभी से नानूराम सुथार ही काबिज चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी बालु अप्रार्थीगण क्रमांक 1 से 3 के प्रत्येक के 1/18 हक हिस्से मे जबरन दखलदांजी कर अप्रार्थीगण को उनके कब्जे से हटाना चाहता है जबकि मौके पर अप्रार्थीगण अपने अपने 1/18 हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अब इस आराजी मे प्रार्थी बालु को कोई हक हिस्सा निहित नहीं रहा है। इसलिये प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण की उक्त आराजी के प्रत्येक 1/18 हिस्से कब्जे में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न करावे ।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने [illegible] रहा है इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो की तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है। तथा वकील विपक्षीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 उल्लेख किया है कि आराजी नं. 1302 के 1/6 हिस्से को श्री नानुराम पिता शंकर सुथार को काफी वर्षो पूर्व हस्तान्तरित कर दिया है। पत्रावली के अवलोकन करने पर ऐसा कोई दस्तावेज वकील विपक्षीगण द्वारा पेश नहीं किया है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.01.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 19 /08/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:45 IST
Reason: SelfAttested